वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़
सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 119 /2025 *दिनांक- 29.03.2025*

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 29.03.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना गम्भीरपुरः विद्युत उपकेन्द्र के संविदा कर्मी से मारपीट करने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.03.2025 को वादी मुकदमा कपिलदेव यादव पुत्र रामआसरे यादव हाल पता- ग्राम रोहुआ मुस्ताफाबाद थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ , स्थायी पता - ग्रा0- बेहडा थाना केराकत जनपद जौनपुर मजरूबी हालत में उपस्थित थाना आकर एक प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 28.03.25 को सुबह 09 बजे कटघर गोमाडीह में बिजली का बिल बकाया होने के कारण नियमानुसार कई लोगों की बिजली एक सप्ताह पूर्व अधिकारी / कर्माचारी की मौजूदगी में काट दी गयी थी। इसी बात से नाराज अभियुक्तगण 1. खिलाडी सरोज पुत्र बंशू सरोज 2. रामखिलावन पुत्र बंशू सरोज 3. बृजेश सरोज पुत्र रामखिलावन सरोज 4. सुजीत सरोज पुत्र रामखिलावन सरोज समस्त निवासीगण ग्राम कटघर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ व 8 से 10 व्यक्ति अन्य नाम पता अज्ञात द्वारा वादी को मारना पीटना गाली गुप्ता देना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दाखिल किये दाखिला तहरीर के आधार मु.अ.सं. 82/2025 धारा 115(2), 352,351(3),3(5) BNS बनाम 04 नामजद व 8 से 10 व्यक्ति अन्य नाम पता अज्ञात,पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक- 29.03.2025 को व0उ0नि0 मिथलेश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अभियुक्त 1. खिलाडी सरोज पुत्र बंशू सरोज 2. रामखिलावन पुत्र बंशू सरोज 3. बृजेश सरोज पुत्र रामखिलावन सरोज 4. सुजीत सरोज पुत्र रामखिलावन सरोज 5. विनोद पुत्र रामअचल समस्त निवासीगण ग्राम कटघर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को समय 14.00 बजे रोहुआ तिराहा गिरफ्तार कर चालान मा0न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

1. खिलाडी सरोज पुत्र बंशू सरोज ग्राम कटघर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
2. रामखिलावन पुत्र बंशू सरोज निवासी ग्राम कटघर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
3. बृजेश सरोज पुत्र रामखिलावन सरोज निवासी ग्राम कटघर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
4. सुजीत सरोज पुत्र रामखिलावन सरोज निवासी ग्राम कटघर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

02.थाना तहबरपुरः किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरणः-

वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया गया कि बाल अपचारी द्वारा आवेदिका के नाबालिंग उम्र करीब 15 वर्ष को बहला फूसला कर भगा ले जाना तथा वादिनी द्वारा पूछने पर गाली गुप्ता देते हुये जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 241/2024 धारा 137(2),87,351(2),352 बीएनएस पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है। दौराने विवेचना पीड़िता की बरामदगी व बयानात के आधार पर धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी करते हुए विवेचना धारा 64(1)/137(2)/87 /351(2)/352 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट में की गयी तथा अपहृता/पीडिता व अभियुक्त की तलाश हेतु पतारसी सुरागरसी की जा रही थी।

पुलिस अभिरक्षा का विवरणः—

आज दिनांक 29.03.2025 को व0उ0नि0 मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित आरोपी एक बाल अपचारी को सोफीपुर चौराहे से समय 13.05 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

03.थाना मुबारकपुरः गैगेस्टर एक्ट में वांछित शातिर अपराधी रामाश्रय गिरफ्तार। गिरफ्तार अपराधी के विरूद्ध 09 मकुदमे दर्ज।

पूर्व की घटनाः-

अवगत कराना है कि दिनांक 26.03.2025 को प्रभारी निरीक्षक निहार नन्दन कुमार मय हमराह द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान तथा थाना मुबारकपुर के अभिलेखो के अवलोकन व आम जनमानस से ज्ञात हुआ कि गैंग लीडर – सुरेश दूबे पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र दूबे साकिन देवकली तारन, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ (गैंग लीडर) अपने सह अभियुक्त/सदस्य 1.रणजीत दूबे उर्फ बबलू दूबे पुत्र दिनेश दूबे साकिन देवकली तारन, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, 2.प्रवीण दूबे पुत्र सुरेश दूबे साकिन देवकली तारन, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, 3.विनीत दूबे पुत्र त्रिपुरारी दूबे उर्फ पुजारी दूबे साकिन देवकली तारन, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ 4.रामाश्रय चौरसिया उर्फ मुल्ला पुत्र स्व0 सूर्यबली चौरसिया साकिन इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह कायम कर रहा है, जो जनपद स्तर पर सक्रिय है। इनके द्वारा कारित किये जाने वाले अपराध संज्ञेय व गम्भीर प्रकृति के हैं जिनके विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 369/2024 धारा 191(2),191(3), 115(2),125,61(2),103(1) BNS व 25/27/30 आयुध अधिनियम पंजीकृत है। उक्त गिरोह द्वारा उपरोक्त आपराधिक कृत्य अपने आर्थिक, भौतिक, दुनियाबी लाभ पाने के लिए किया गया है। इस गिरोह की सक्रियता जनपद स्तर पर है। गिरोह के भय एवम् दहशत के कारण कोई भी व्यक्ति इस गिरोह के विरूद्ध मुकदमा दर्ज / गवाही देने की हिम्मत नही कर पाता है। उक्त गिरोह द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 2 (ख) की उपधारा (एक)से आच्छादित है, जो उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 3(1) के तहत दण्डनीय अपराध है ।। इनका जनहित में स्वतन्त्र रहना ठीक नही है। इन पर अंकुश लगाया जाना नितान्त आवश्यक है। इनके विरुद्ध उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 की धारा 2(ख)(एक)/3(1) के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु गैंग चार्ट श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट महोदय आजमगढ़ द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली-2021 की नियम 5(3)(क) के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक आजमगढ व नोडल गैंगेस्टर के साथ दिनांक 20.03.2025 को संयुक्त बैठक में अनुमोदित किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रभारी निरीक्षक महोदय के प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 128/2025 धारा 2(ख)(एक)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 का अभियोग पंजीकृत है जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना जहानागंज, आजमगढ़ द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 29.03.2025 को प्रभारी निरीक्षक निहार नंदन कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित शातिर अपराधी रामाश्रय चौरसिया उर्फ मुल्ला पुत्र स्व0 सूर्यबली चौरसिया साकिन इब्राहिमपुर थाना

मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर इब्राहिमपुर से समय करीब 12.50 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 128/2025 धारा 2(ख)(1)/3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

क्र.सं	मु.अ.सं	धारा	थाना	जनपद	परिणाम
1	369/24	103(1)/115(2)/125/191(2)/191(3)/ 61(2) बीएनएस	मुबारकपुर	आजमगढ	ए-413 दिनांक 13.11.24
2	76/17	60 आबकारी अधि0	मुबारकपुर	आजमगढ	ए-41/30.03.2017
3	1170/08	60 आबकारी अधि0	मुबारकपुर	आजमगढ	ए-165/25.09.2008
4	899/10	60 आबकारी अधि0	मुबारकपुर	आजमगढ	ए-147/21.07.2010
5	287/05	60 आबकारी अधि0	मुबारकपुर	आजमगढ	ए- 96/29.05.2005
6	936/12	323/325/504/506 भादवि	मुबारकपुर	आजमगढ	ए-02/14.01.13
7	308/13	60 आबकारी अधि0	मुबारकपुर	आजमगढ	ए-138/01.12.13
8	275/13	60 आबकारी अधि0	मुबारकपुर	आजमगढ	ए-78/24.07.013
9	186/11	60 आबकारी अधि0	मुबारकपुर	आजमगढ	ए-97/05.08.11

04.थाना- कोतवालीः रंगदारी मांगने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास –

दिनांक- 27.03.2025 को वादी जगदीश प्रजापति पुत्र यमुना प्रजापति नि0 उकरौड़ा थाना कोतवाली आजमगढ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि प्रार्थी प्राइमरी पाठशाला उकरौड़ा के पास जलेबी टिकिया पकौड़ा बेचने की दुकान है उसी से अपना व अपने बाल बच्चो का पालन पोषण करता हूँ प्रार्थी के गांव के भकौले सिंह, प्रदीप सिंह ,अजीत सिंहं पुत्रगण भगवान सिंह द्वारा प्रार्थी से पच्चास हजार रूपया रंगदारी मांगते है, आज बीती रात को करीब 12 बजे रात मे भकौले सिंह व अपने भाइयो ने कट्टा लेकर प्रार्थी के घर पर आये और जबरजस्ती दरवाजा खोलवाकर मेरे उपरोक्त व्यक्तियो को तमंचा लगा दिया और रंगदारी के पच्चास हजार रूपये मांगने लगे मेरे बच्चो के द्वारा शोर मचाने पर अगल बगल के लोगो के आवाज सुनकर गंदी गंदी गालीया देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। उक्त के सम्बन्ध में दि. 27.3.25 को मु0अ0सं0 155/25 धारा 308(5)/352/351(3)/333 बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक- 29.03.2025 को प्र0नि0 निरीक्षक शशि मौलि पाण्डेय , मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. अजीत सिंह पुत्र भगवान सिंह सा0 उकरौडा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 39 वर्ष को दिनांक 29.3.25 को समय 00.10 बजे अभियुक्त के घर ग्राम उकरौड़ा से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का विवरणः-

1. अजीत सिंह पुत्र भगवान सिंह सा0 उकरौडा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 39 वर्ष

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 155/25 धारा 308(5)/352/351(3)/333 बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-प्र0नि0 निरीक्षक शशि मौलि पाण्डेय , उ0नि0 विनय सहाय, उ0नि0 यश सिंह पटेल, उ0नि0 देवेन्द्र नाथ दुबे, उ0नि0 प्रदीप बाजपेयी, का0 काशी कुमार का0 प्रेमचन्द्र कनौजिया का0 अप्पू कुमार वर्मा म0का0 रेशमा सरोज, का0 कृपाशंकर, का0 आकाश कुमार, म0का0 आशा यादव, का0 नरेन्द्र तिवारी , का0 जितेन्द्र कुमार , का0 अभय सिंह द्वारा थाना कोतवाली आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 29.03.2025, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए **आजीवन कारावास व 45,000/- रुपये** से दण्डित किया गया।

थाना गम्भीरपुर: हत्या के 01 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 45000/- रूपये जुर्माना।

➡ दिनांक- 13.09.2006 को वादी सुनील तिवारी पुत्र स्व0 बनारसी तिवारी निवासी ग्राम मुड़हर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ ने थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ पर लिखित तहरीर दी थी कि वादी के पिता बनारसी तिवारी को ठेकमा बाजार की तरफ से आते समय करीब 06:00 बजे शाम दिनांक 12.09.2006 को अभियुक्तः **शिवानन्द राय पुत्र कोमल राय निवासी हरिश्चन्द पट्टी, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा गोली मारकर हत्या करके पैसा छिन लिया गया था।**

➡अभियुक्त के विरूद्ध थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0- 833/2006 धारा-394,302/34 भादवि तथा 838/2006 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 08 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 29.03.2025 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त **शिवानन्द राय पुत्र कोमल राय निवासी हरिश्चन्द पट्टी, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 45000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।**